

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)



वादीगण

प्रतिवादीगण

जगदीशप्रसाद पुत्र बालूराम  
निवासी-शेरपुरा, तहसील-नावां  
किस्म प्रकरण : 88, 53, 188, आरटीएक्ट

बनाम

विमलादेवी पत्नी भगवानाराम  
निवासी-लूणवां तहसील-नावां  
संख्या : 254 / 2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
06.10.2025	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूराम कुमावत ने यह वाद पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 24.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (दिव्या सोनी)                      उपखण्ड अधिकारी, नावां                 </p> <p>24/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बंधारे है पत्रावली दिनांक 24/12/25 को पेश हो</p> <p>24/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बंधारे है पत्रावली दिनांक 26/2/26 को पेश हो</p> <p>26/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बंधारे है पत्रावली दिनांक 17/4/26 को पेश हो</p> <p>17/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 19.5.26 को पेश हो</p> <p>19/5/26 :- वकील वादी गैर हाजिर। द्वालाजे जाचर्डि गई। सत्रण में फेडि पत्रकार/ बंधवकल उपस्थित नही जाये। द्वाला बावजूद तारीख पेशी सूचना डे सत्रण में गैर हाजिर रहने से वादी का वाद जपम हाजरीन जपम पैरवी में आविज क्रिय जना है मिसल जपम नम्बर ल कप होकर दाखिल कएल है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      नावां (डीडवाना-कुचामन)                 </p>	